<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

मुन्त. प्रा0 / 77 / 2017

1– रेवती प्रसाद शर्मा पिसरान वैनीराम जाति ब्रा0 नि. सहना तहसील
2– रमेशचन्द शर्मा रुपवास जिला भरतपुर
3–सुरेशचन्द शर्मा
4–रामेश्वर पुत्र चन्द्रपाल जाति जाट नि0 सहना तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री परसराम मीना सहायक कलक्टर उच्चैन (कार्यवाहक) पदेन उपखण्ड अधिकारी रुपवास
2–तहसीलदार तहसील रुपवास
3–नायव तहसीलदार उच्चैन

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली व मुकदमा दावा मु0न0 88 / 17 रेवती बनाम सरकार

उपस्थित :–
श्री कृष्णकुमार सिंघल अभिभाषक प्रार्थी0

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 11.12.2017</u>

प्रार्थी0 ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान इस आश्य का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण सहायक कलक्टर उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी दिनांक 12.9.2017 को सहायक कलक्टर उच्चैन के समक्ष विचाराधीन दावा नकल प्रार्थना पत्र देने को उपस्थित हुआ था। तब सहायक कलक्टर उच्चैन ने दावा व प्रार्थना पत्र सरकार के खिलाफ गलत पेश करना बताते हुये आगामी तारीख पर खारिज करुंगा और कहा अन्यथा दावा व प्रार्थना पत्र को वापिस ले ले। उस समय नायव तहसीलदार भी उपस्थित थे। उन्होने भी दावा खारिज होते ही देख लेने की धमकी प्रार्थी को दी है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर दावा व प्रार्थना पत्र को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। नायव तहसीलदार उच्चैन की ओर से जबाब प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

.......2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर,उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा दावा मु0न0 88 / 17 रेवती बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं सहायक कलक्टर उच्चैन को पालनार्थ प्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official